इंदर बनाम हरियाणा राज्य

1027

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विनोद एस. भारद्वाज से पहले, जे.

इंदर-याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य 2020 का पर्तिवादी सी. आर. आर. सं. 44

18 अगस्त, 2022

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958-धारा 4,5-भारतीय दंड संहिता-धारा 34,323,325,506,509-दोषसिद्धि के विरुद्ध संशोधन। धारा 360 दंड प्रकिया संहिता का अधिदेश. इस बात पर विचार करें कि यदि अपराध जघन्य या गंभीर नहीं हैं, तो कानून को पहली बार अपराध करने वालों के लिए दंड का विस्तार करना चाहिए-वर्तमान याचिकाकर्ता की आयु लगभग 50 वर्ष है, उसके पास अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त जिम्मेदारियां हैं, वह एक मजदूर है और पहली बार अपराधी है-याचिकाकर्ता की सजा को संशोधित किया गया है, अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर जारी किया गया है-आंशिक रूप से संशोधन की अनुमति है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि निश्चित रूप से, अनुभाग 360 दंड प्रकिया संहिता के साथ-साथ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की खंड 4 और 5 के अधिदेश में यह विचार किया गया है कि यदि अपराध जघन्य या गंभीर नहीं हैं, तो कानून को पहली बार अपराध करने वालों को कुछ हद तक दंडित करने का सहारा लेना चाहिए।उक्त अधिनियम का उद्देश्य और दंड पर्किर्या संहिता में निहित पर्ावधान एक आरोपी को कानून और सजा के निवारक पर्भाव से समझौता किए बिना खुद को सुधारने का अवसर पर्दान करते हैं। सजा हमेशा दंडात्मक सजा देने के उपाय के रूप में नहीं दी जानी चाहिए जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पर्त्येक अपराध के लिए हिरासत में रखना है। सजा सुनाने का उद्देश्य भी सुधारात्मक है और यह आकलन करना है कि क्या कोई दोषी सुधार से परे एक कठोर अपराधी के लक्षणों को पर्दर्शित करता है या सुधार की क्षमता रखता है। किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए अपराधी के रूप में लेबल नहीं किया जाना चाहिए।इस पर्कार, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत का एक तत्व सामने आता है।यही एक अपराधी को मुख्यधारा के समाज में रहने का अवसर पर्दान करता है।

(पैरा 15)

आगे अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त निर्णयों के साथ-साथ वैधानिक पर्ावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है और एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो सात वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, वह खंड 360 दंड प्रकिया संहिता के तहत अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा के लाभ का दावा करने का हकदार है, बशर्ते कि अपराधी के खिलाफ कोई पूर्व दोषसिद्धि न हो और अपराधी की आयु,

चरितर् और पूर्ववृत्तियों को ध्यान में रखते हुए। उन परिस्थितियों के साथ जिसमें अपराध किया गया था।

(पैरा 19)

आगे अभिनिर्धारित किया कि यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता खंड 360 दंड प्रकिया संहिता के तहत निर्धारित परिस्थितियों को पूरा करता है। उसे अनुभाग के अन्तर्गत भारतीय दंड प्रकिया संहिता सी. की खंड 325 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो अधिकतम सात साल के कारावास के लिए दंडनीय है और अनुभाग - भारतीय दंड प्रकिया संहिता 323 जो अधिकतम एक साल के कारावास के लिए दंडनीय है।इसके अलावा, यह साबित नहीं हुआ है कि याचिकाकर्ता एक पूर्व दोषी है या वह एक आदतन अपराधी है।इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की आयु लगभग 50 वर्ष है और उपरोक्त परिस्थितियों में, उसके पास अपने बच्चों के पर्ति पर्याप्त जिम्मेदारियां होंगी। याचिकाकर्ता को पूरे कारावास से गुजरने की स्थिति में परिवार के लिए वित्तीय कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता एक मजदूर है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त या बाद के आचरण से यह नहीं पता चलता है कि वह एक आदतन अपराधी है और सुधार करने में असमर्थ है। सजा सुनाने के अनिवार्य उद्देश्यों में से एक अपराधी को सुधार करने की अनुमति देना है, इसे ध्यान में रखने में अदालत की विफलता सजा देने के पर्शंसनीय उद्देश्यों में से एक को विफल करने की संभावना है।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजकपूर मलिक।

रमेश कुमार अंबावता, ए. ए. जी., हरियाणा।

<u>विनोद एस. भारद्वाज, जे.</u>

(1) तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को न्यायिक मजिस्ट्रेट पर्थम खंड, कैथल द्वारा आपराधिक मामले में पारित 29.04.2019 के फैसले के खिलाफ पर्ाथमिकता दी गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद अनुभाग के अर्न्तगत के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के साथ पठित धारा 323,506,509,325 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 211 दिनांक 05.12.2016 दर्ज की गई है, जो कैथल जिले के पुलिस स्टेशन राजौंद में दर्ज की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को अनुभाग के अर्न्तगत भारतीय दंड प्रकिया संहिता की धारा 323 और 325 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है दिनांक 30.04.2019 और साथ ही साथ अनुभाग के अर्न्तगत की धारा 325 के तहत सजा के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को निम्नलिखित सजा सुनाई गई हैः

एस0न0	अनुभाग	सजाएँ
1.	भारतीय दण्ड सहिता की धारा 323 के साथ में धारा 34 भारतीय दण्ड	6 महीने साधारण सजा तथा साथ मे 500/- रूपये जुर्माना वा जुर्माना ना

	सहिता!	**भरने की सूरत में, दोषियों को एक महीने की साधारण सजा का आदेश दिया जाता है!**
2.	**भारतीय दण्ड सहिता की धारा 325 के साथ में धारा 34 भारतीय दण्ड सहिता!**	**एक साल साधारण सजा तथा साथ मे 1000/- रूपये जुर्माना वा जुर्माना ना भरने की सूरत में, दोषियों को पन्द्रह दिन की साधारण सजा का आदेश दिया जाता है!**

(2) स्पष्ट रूप से, यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि 03.12.2016 पर, जाँच समिति की पर्मुख-सिपाही मंजीत कौर से फोन पर जानकारी मिली थी कि कैथल के सरकारी अस्पताल में सोनगल, पुलिस स्टेशन, राजौंद निवासी राजेंदर् की एक कमलेश पत्नी को भर्ती कराया गया था, जिसे झगड़े में चोटें आई थीं।यह जानकारी मिलने पर वे कैथल के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां सहायक उप-निरीक्षक चैन सिंह और हेड-कांस्टेबल राकेश पहले से ही मौजूद थे। सहायक उप-निरीक्षक चैन सिंह ने कमलेश और पिंकी के रुक्का और एमएलआर सौंपे।इसके बाद, शिकायतकर्ता कमलेश का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि वह उपरोक्त पते की निवासी है और एक मजदूर है।उसने आगे कहा कि उसका पति लकवागर्स्त है, जिसके कारण वह अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है। उनकी चार बेटियां और एक बेटा है।लगभग 8:30 बजे, उसके पति ने अपने बहनोई (देवर) इंदर (याचिकाकर्ता) से कहा कि उनके बाथरूम की नींव में पानी रिस रहा है, जिससे दीवार गिर सकती है। इसलिए, उन्होंने उन्हें नाली (नाली) में पानी को मोड़कर अलग करने के लिए कहा।इस पर इंदर ने ऐसा करने से इ÷कार कर दिया और शिकायतकर्ता के पति के साथ अश्लील शब्द बोलकर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।जब शिकायतकर्ता ने उसे चुप कराने की कोशिश की, तो उसने उसके साथ अभदर् भाषा का पर्योग करना शुरू कर दिया और लाठी उठाकर उसे पीटना भी शुरू कर दिया।उसने उसके दाहिने हाथ पर लाठी चलाई जिससे उसका हाथ टूट गया।जब उसकी बेटी पिंकी ने उसे बचाने की कोशिश की, तो इंदर ने भी उसे लाठी से पीटा। शिकायतकर्ता ने शोर मचाया। इस बीच, इंदर की पत्नी बाला आई और उसे और उसकी बेटी को थप्पड़ और लाठी मारने लगी।उसके पड़ोसी ने शिकायतकर्ता और उसकी बेटी को आरोपी के चंगुल से बचा लिया और उसे कैथल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायतकर्ता के बहनोई ने पुलिस को कोई बयान देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इन आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ वर्तमान पर्ाथमिकी दर्ज की गई थी। जाँच के दौरान स्थल योजना तैयार की गई और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्त व्यक्तियों को औपचारिक रूप से 15.12.2016 पर गिरफ्तार किया गया था, जो अब जमानत पर हैं।27.12.2016 पर, शिकायतकर्ता और घायल की एक्स-रे रिपोर्ट पर्ाप्त होने के बाद, भारतीय दंड संहिता की अनुभाग 325 जोड़ी गई थी। जाँच की सभी औपचारिकताओं के पूरा होने पर, इंदर और बाला नामक अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में चालान दायर किया गया था।

(3) इसके बाद, दंड पर्क्रिया संहिता की अनुभाग के अर्न्तगत 207 के तहत अभियुक्त को दस्तावेजों के साथ चालान की पर्तियां मुफ्त में पर्दान की गईं।

(4) दस्तावेजों का अध्ययन किया गया और आरोप पर दलीलें सुनी गईं।अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अनुभाग 34 के साथ पठित अनुभाग 323,325,506,509 के तहत दंडनीय पर्थम दृष्टया मामला बनाया गया था।तदनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कैथल के न्यायिक मजिस्ट्रेट पर्थम शरे्णी द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुसार उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध करने के लिए आरोप पतर् दायर किया गया था। आरोप पतर् की सामगरी् को पढ़ा गया था और अभियुक्तों को सरल हिंदी भाषा में समझाया गया था, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(5) इसके बाद, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए मामला तय किया गया। अपने मामले को साबित आदेश के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ की हैः

एस 0 न 0	नाम और पदनाम	सिद्ध किया।
पीडब्लू1	कमलेश, शिकायतकर्ता	उन्होंने अपने कर्तव्य की शपथ में अभियोजन पक्ष के मामले को अक्षरों और भावनाओं में दोहराया। उसने शिकायत एक्स की सामगरी् को साबित किया। प्रदर्श पीडब्लू1/ए और मार्क ए पर उसी पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की। इसके अलावा, उसने अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान की।
पीडब्लू 2	पिंकी, घायल/चश्मदीद गवाह	उन्होंने अक्षरों और भावनाओं में अभियोजन के मामले को दोहराया। इसके अलावा, उसने मौजूद आरोपी की पहचान अदालत मेंकी
पीडब्लू 3	डॉ. अमन बंसल, एम. ओ. सीएचसी कौल	पिंकी का एमएलआर प्रदर्श पी.डब्लू.3/बी, एक्स-रे रिपोर्ट। कमलेश प्रदर्श पी.डब्लू.3/डी, एक्स-रे फिल्में प्रदर्श PW3/F, पिंकी प्रदर्श PW3/G की एक्स-रे रिपोर्ट, पिंकी की एक्स-रे फिल्में पीडब्लू3/एच से प्रदर्श .PW3/J और रुक्का प्रदर्श.PW3/K
पीडब्लू4	राजिंदर, पर्त्यक्षदर्शी	उन्होंने कहा कि लगभग 8:30 बजे दिनांक 03.12.2016, जब उन्होंने शिकायतकर्ता को बताया कि नाले का पानी बाथरूम की दीवार की नींव में रिस रहा है, जिसके कारण दीवार गिर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आरोपी इंदर को पाइप पर मोड़कर नाली का पानी छोड़ने के लिए कहा, जिस पर इंदर ने इनकार कर दिया और अश्लील शब्द बोलने लगे। इस बीच, इंदर ने अपनी पत्नी की बांह पर लाठी से वार किया और उसके दाहिने हाथ पर एक और लाठी से वार किया, जिससे उसकी पत्नी का हाथ टूट गया। उनकी बेटी पिंकी वहां पहुंची और इंदर ने भी पिंकी को लाठी से मारा जिससे

		पिंकी के हाथ की उंगली टूट गई। इंदर की पत्नी बाला ने भी अपनी पत्नी और बेटी के दाहिने हाथ पर लाठी से वार किया। जब वह अपनी पत्नी और बेटी को अस्पताल में भर्ती करने जा रहा था, तो इंदर ने उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करने की धमकी दी अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। उनकी पत्नी ने अपना बयान दर्ज कराया। पीडब्लू1/ए. उन्होंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बयान पर रखे गए अंगूठे के छापों की पहचान की। पीडब्लू4/ए और न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान भी की।
पीडब्लयू 5	सहायक उप-निरीक्षक चैन सिहं, जाचं अधिकारी!	उन्होने गवाही दी 05.12.2006 को, उन्हे पुलिस स्टेशन राजौदं में जांच अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था! उन्होने आगे कहा कि उन्होने औपचारिक रूप से दोनों अभियुक्तों को गिरफतार किया और उन्हे अदालत के समक्ष पेश किया! एक्स-रे रिर्पोट प्राप्त करने के बाद भारतीय दण्ड सहिता के अनुभाग 325 को जोड़ा गया और दण्ड प्रक्रिया भारतीय दण्ड सहिता अनुभाग के अर्न्तगत 173 के तहत रिर्पोट तैयार की गई जिस पर उप निरीक्षर थाना अधिकारी राम कुमार के हस्ताक्षर की पहचान की! उन्होने आगे की जांच के दौरान गिरफतारी फार्म और गिरफतारी विवरण फार्म उनके द्वारा तैयार किये गये!
पीडब्लयू 6	उप निरीक्षर राम कुमार	दण्ड प्रक्रिया अनुभाग के अर्न्तगत 173 के तहत रिर्पोट
पीडब्लय 7	सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह	प्रथम सूचना रिर्पोट प्रदर्श पीडब्लय 7/ए और पुस्टी प्रदर्श पीडब्लय 7/ बी
पीडब्लय 8	उप निरीक्षक रेखा	तहरीर पीडब्लय 8/ए

लोक अभियोजक के बयान पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के सामने पूरा अपराध साबित करने वाला सबूत रखा गया, जिसने अपनी बेगुनाही का अनुरोध किया।हालाँकि, अवसर दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा बचाव में कोई सबूत नहीं दिया गया है।

(6) प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर, उपरोक्त अपराधों यानी अनुभाग के अन्तर्गत की धारा 323,325 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया और याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसकी पत्नी को भी सजा सुनाई गई।

(7) इससे आहत होकर सतर् न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।

(8) 2019 की दाण्डिक अपीलीय में पारित निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता की पत्नी की दोषसिद्धि को संशोधित किया गया था और उसे अनुभाग के अन्तर्गत की धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था और एक मुचलके के साथ Rs.25,000/- की राशि में परिवीक्षा बांड पर्स्तुत करने पर छह महीने की अवधि के भीतर परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।

(9) हालाँकि, याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई थी।

(10) इसलिए, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।

(11) दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता पर्स्तुत करता है कि उसके पास नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा उसके खिलाफ समवर्ती रूप से दर्ज किए गए दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देने के निर्देश हैं और वह अपने तर्क को केवल सजा की मातर्ा तक ही सीमित रखता है।

(12) उनके द्वारा यह पर्स्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा अनुभाग के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत अपराध करने के लिए एक साल की अवधि के लिए साधारण कारावास और अनुभाग के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध करने के लिए छह महीने के साथ-साथ कर्मशः रूप्ये 1000-और रूप्ये 500 का जुर्माना है।यह भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन अपराध दिसंबर 2016 के महीने में हुआ था और याचिकाकर्ता को पहले ही पिछले छह वर्षों से अधिक समय से आपराधिक मुकदमे की लंबी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है।वह आगे पर्स्तुत करता है कि याचिकाकर्ता एक मजदूर है और उसके तीन बच्चे हैं जो पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता पूर्व दोषी नहीं है और दंड पर्किर्या अनुभाग 360 (इसके बाद दंड प्रकिया संहिता के रूप में संदर्भित) को देखते हुए, याचिकाकर्ता को उमर्, चरितर् के साथ-साथ पूर्ववृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर रिहा माना जाता है, जिसमें वे परिस्थितियां भी शामिल हैं जिनमें अपराध किया गया था।

(13) हालाँकि, हरियाणा राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विचाराधीन अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित किया गया था और इस बात का कोई वैध औचित्य नहीं है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में परिवीक्षा का लाभ क्यों दिया जाना चाहिए।

(14) एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उद्भूत 1999 की दाण्डिक अपीलीय No.1276 में ओम पर्काश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। 1999 का No.3206, जो 29.11.1999 पर तय किया गया था, निम्नानुसार थाः-

> "4. जब मामला इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार करने के लिए आया, तो अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क उठाया कि अनुभाग 360 दण्ड पर्किर्या संहिता 1973 के पर्ावधानों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और इसलिए हमने सीमित नोटिस जारी किया है कि उक्त पर्ावधान वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ओर क्यों आकर्षित नहीं होंगे। अनुभाग 360 दण्ड पर्किर्या संहिता 1973 के पर्ावधान अभियुक्त के लिए तभी फायदेमंद होते हैं जब अभियुक्त 21 वर्ष से अधिक आयु के मामले में पहला अपराधी होता है। दंड पर्किर्या संहिता की अनुभाग 361 इंगित करती है कि यदि न्यायालय ने अनुभाग के अर्न्तगत 360 के तहत अपने अधिकार क्षेतर् का पर्योग नहीं करने का निर्णय लिया है, तो उसे अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए कि अनुभाग 360 दण्ड पर्किर्या संहिता 1973 के लाभ से क्यों इ=कार किया जा रहा है। अनुभाग 361 के पर्ावधानों की भाषा की आकस्मिक पर्कृति को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अदालत ने अपील और

संशोधन में यह संकेत नहीं दिया है कि अनुभाग 360 दण्ड पर्किर्या संहिता 1973 के पर्ावधानों को क्यों लागू नहीं किया गया है, न्याय का घोर अनुपालन नही हुआ है और संहिता की उपरोक्त दो खंडओं में निहित विधायी जनादेश का पालन नहीं किया गया है।

5. इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता शर्ी महाबीर सिंह को सुनने के बाद और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां न्यायालय को अनुभाग 360 दण्ड पर्किर्या संहिता 1973 के पर्ावधानों को लागू करना चाहिए था। इसलिए, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सजा के बजाय, हम निर्देश देते हैं कि वे रुपये की सीमा तक एक मुचलके के साथ एक मुचलका निष्पादित करेंगे। 10, 000 एक वर्ष की अवधि के लिए जिसके भीतर वे अच्छे व्यवहार और शांति बनाए रखने के लिए परिवीक्षा पर बने रहेंगे।अपीलार्थी अच्छा आचरण करने वाले साबित होंगे और परिवीक्षा की अवधि के दौरान शांति बनाए रखेंगे।आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष मुचलका निष्पादित किया जाए।"

इसी तरह, राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सी. बी. आई., भर्ष्टाचार निरोधक शाखा, चंडीगढ़ बनाम **संजीव भल्ला द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-**

"ये निर्णय अंकित करते हैं कि हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र का दार्शनिक आधार एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है-सजा एक मानवीय मिशन से निवारक और पर्तिशोधात्मक होने की सजा की ओर।यह बदलाव आज के सामाजिक संदर्भ में आवश्यक हो सकता है (हालांकि कोई राय व्यक्त नहीं की गई है), लेकिन दण्ड पर्किर्या संहिता की धारा 360 और 361 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के विधायी जनादेश को देखते हुए, न्यायाधीश के लिए जो अनिवार्य है वह है किसी दोषी को चेतावनी के बाद रिहा करने या परिवीक्षा पर या ऐसे दोषी को जेल में डालने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना।यह केवल मामले-दर-मामले के आधार पर तय किया जा सकता है, लेकिन पुनर्वास और मानवीय मिशन के सिद्धांत को नहीं भुलाया जाना चाहिए।"

उदय सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2 के मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है -

"12. भारत में आपराधिक न्यायाधीश पर्णाली धीरे-धीरे एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है ताकि पहली बार के अपराधियों को कठोर अपराधियों के साथ उनके जुड़ाव के परिणामस्वरूप अशिष्ट अपराधियों में परिवर्तित होने से रोका जा सके

यदि उन्हें जेल में कारावास से गुजरना पड़ता है।उद्देश्य दंड के क्षेतर् में वर्तमान पर्वृत्ति के अनुरूप है जो सुझाव देता है कि व्यक्तिगत अपराधियों के सुधार और सुधार के लिए पर्यास किया जाना चाहिए और पर्तिशोधात्मक न्याय/निवारक सजा का सहारा नहीं लेना चाहिए। आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र यह मानता है कि कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं है।अधिकांश अपराध सामाजिक-आर्थिक परिवेश की उपज हैं।संहिता और परिवीक्षा अधिनियम की अनुभाग 360 संहिता के पर्ावधान सुधार और पुनर्वास के उद्देश्यों को वैधानिक मान्यता देते हैं।

13. 1957 के विधेयक संख्या 79 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में पारित किया गया था, निम्नानुसार कहता हैः-

(1) अपराधियों को कारावास की सजा देने के बजाय अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने को प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है! 1931 में, भारत सरकार ने अपराधियों के परिवीक्षा विधेयक का एक मसौदा तैयार किया और इसे तत्कालीन स्थानीय सरकारों को उनके विचारों के लिए वितरित किया।हालाँकि, अन्य अधिक महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्तता के कारण, विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।बाद में 1934 में, भारत सरकार ने पर्ांतीय सरकारों को सूचित किया कि उस समय केंदर्ीय कानून बनाए जाने की कोई संभावना नहीं थी और पर्ांतों को स्वयं इस तरह के कानून बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तदनुसार कुछ पर्ांतों ने अपने स्वयं के परिवीक्षा कानून बनाए।

(2) हालाँकि, कई राज्यों में कोई अलग परिवीक्षा कानून नहीं हैं। यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां परिवीक्षा कानून हैं, वे समान नहीं हैं और न ही वे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस बीच, अपराधी को जेल जीवन के हानिकारक पर्भावों के अधीन किए बिना समाज के एक उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्य के रूप में सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है।देश में परिवीक्षा पर्णाली में व्यापक रुचि को देखते हुए, इस पर्श्न की फिर से जांच की गई है और इस विषय पर एक केंदर्ीय कानून बनाने का पर्स्ताव है जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

(3) अदालतों को कुछ निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में चेतावनी के बाद अपराधी को रिहा करने का अधिकार देने का पर्स्ताव है।अदालतों को परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार देने का भी पर्स्ताव है, सभी उपयुक्त मामलों में, एक अपराधी को ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है।21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के लिए उनके कारावास पर पर्तिबंध लगाने का विशेष पर्ावधान किया गया है।परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपराधी परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख में रहेंगे ताकि वे सुधार आदेश सकें और समाज

के उपयोगी सदस्य बन सकें।विधेयक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्र्यास करता है।"

14. संहिता के प्रावधान भी ऐसे ही हैं।संहिता की अनुभाग 360 (10) में विशेष रूप से कहा गया है कि इस खंड की कोई भी बात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 या भारत बनाम हरियाणा राज्य के लिए उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों को युवा अपराधियों का उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास प्रभावित नहीं करेगी।

15. ऊपर निकाले गए उद्देश्यों और कारणों के आलोक में, परिवीक्षा अधिनियम और संहिता की अनुभाग 360 संहिता के "परिवीक्षा" और "योजना" के अर्थ की जांच करना उचित होगा।परिवीक्षा का अर्थ और यह अवधारणा कैसे महत्वपूर्ण हो जाती हैः-

16. "परिवीक्षा" शब्द लैटिन शब्द "प्रोबेयर" से लिया गया है, जिसका अर्थ है परीक्षण करना या साबित करना।व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिवीक्षा का अर्थ है "मैं अपनी योग्यता साबित 11 करता हूँ।"यह एक उपचार उपकरण है और अभिरक्षा उपाय का एक विकल्प है जिसका उपयोग आम तौर पर विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है।जब किसी व्यक्ति को जेल भेजने के बजाय दोषी ठहराया जाता है, तो उसे सुधार करने का मौका दिया जा सकता है।एक उपचार उपाय के रूप में एक अभियुक्त/दोषी को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, जिसे वह जेल में कैद होने और कठोर अपराधियों के साथ सहयोग करने की स्थिति में खो सकता है।सजा के नए रूप में आधुनिक दंडात्मक दृष्टिकोण अभियुक्त-दोषी के सर्वोत्तम हित में समाज की जरूरतों को संतुलित करने के उद्देश्य से है जैसे कि चेतावनी पर रिहाई, अच्छे आचरण की परिवीक्षा, 21 वर्ष या उससे अधिक उमर् के अपराधियों की उमर् और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मुआवजा और लागत। अध्ययन से पता चलता है कि जेल से रिहा होने के बाद दोषी की सामान्य समाज में पुनः समायोजन करने की क्षमता कम हो जाती है और पेशेवर अपराधियों के साथ जुड़ने से अक्सर अवांछनीय परिणाम मिलते हैं।

संहिता की योजनाः-

17. भारत में 1931 में भारत सरकार ने अपराधी विधेयक का एक मसौदा तैयार किया, लेकिन इसके बाद 1934 में यह समाप्त हो गया, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया है, यहां तक कि कुछ प्रांतों ने भी अपने स्वयं के कानून बनाए।अंततः, स्वतंतर्ता के बाद 1958 में परिवीक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया।1898 की पुरानी दंड प्रकिर्या संहिता के तहत भी परिवीक्षा के संबंध में अनुभाग 562 मौजूद थी।इसके बाद नई संहिता में, जैसा कि 1974 में संशोधित किया गया था, अनुभाग 360 अच्छे आचरण के परीक्षण से भी संबंधित है। अनुभाग 361 न्यायालयों के लिए परिवीक्षा के हितकारी प्रावधानों का लाभ नहीं देने के

लिए कारण बताना अनिवार्य बनाती है। यदि हम परिवीक्षा अधिनियम और संहिता की अनुभाग 360 की योजनाओं की तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि परिवीक्षा अधिनियम में परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का पर्ावधान है जो होगी। न्यायालय को पर्स्तुति रिपोर्ट दें और परिवीक्षा की अवधि के दौरान अभियुक्त-दोषी की निगरानी भी करें।परिवीक्षा अधिनियम की अनुभाग 18 विशेष रूप से पर्दान करती है कि जहां परिवीक्षा अधिनियम के पर्ावधान लागू होते हैं, संहिता की खंड 360 (पुरानी संहिता में अनुभाग 562) के पर्ावधानों को बाहर रखा गया है।

18. इशर दास बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1295 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने से अधिक सुधार करना है।एक अभियुक्त को कठोर अपराधियों के साथ जेल में रखने के बजाय, अदालत अच्छे व्यवहार के वादे पर व्यक्तिगत स्वतंतर्ता का आदेश दे सकती है और परिवीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण का आदेश भी दे सकती है।परिवीक्षा अच्छे व्यवहार के वादे पर एक अपराधी की सशर्त रिहाई है।

20. रतन लाल बनाम पंजाब राज्य, 1965 क्रिमिनल एल. जे. 360 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि परिवीक्षा अधिनियम दंड के क्षेतर् में सुधार की आधुनिक उदार पर्वृत्ति की पर्गति में एक मील का पत्थर है। परिवीक्षा अधिनियम के पर्ावधानों का अंतर्निहित उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि एक अभियुक्त व्यक्ति को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए जो वह जेल में कैद होने और कठोर अपराधियों के साथ सहयोग करने की स्थिति में खो देगा।

21. मुसादन बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2566 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि परिवीक्षा अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य किशोर अपराधियों को सुधारना है ताकि सरकार द्वारा उन्हें शिक्षात्मक और सुधारात्मक व्यवहार पर्दान करके उन्हें कठोर अपराधी बनने से रोका जा सके।

24. सभी अपराधों में सजा के मामले में एक बहुत व्यापक विवेकाधिकार परीक्षण और अपीलीय न्यायालय में निहित है।विवेक का पर्योग विवेक का विषय है न कि कानून का।यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में परिवीक्षा अधिनियम और संहिता के पर्ावधानों के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। कमांडेंट 20 बी. एन. आई. टी. बी. पुलिस बनाम संजय बिनजोआ, ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2058 में ऐसा ही हुआ है।परिवीक्षा अधिनियम में भी यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह किस अपराध में लागू होता है और किन अपराधों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

25. उचित सजा देने से पहले, न्यायालय को कम से कम अपराध के उद्देश्य, अपराध की परिमाण, आयु, चरितर् और सामाजिक-इंदर् बनाम हरियाणा राज्य पर विचार

करना चाहिए।अपराधी की आर्थिक पृष्ठभूमि।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, परिवीक्षा अधिनियम और संहिता के पर्ावधान, जो परिवीक्षा से संबंधित हैं, सजा के पर्ति आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार निरोध से सुधार और अपराध से अपराधी पर जोर देते हैं।अपराधियों का सुधार और पुनर्वास उपरोक्त उल्लिखित पर्ावधानों के पर्मुख अंश हैं। हालाँकि सजा की समस्या एक चौंका देने वाला मुद्दा है, फिर भी सजा सुनाते समय अदालत को इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि किसी दोषी व्यक्ति को जेल भेजे बिना न्यायाधीश के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है।कई बार सजा में सुधार से संबंधित कानूनों को अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों के संज्ञान में नहीं लाया जाता है और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाता है, इसलिए इसका लाभ अपराधी को नहीं दिया जाता है।यह पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर्तीत होता है और भले ही वकील मदद नहीं करता है, न्यायालय को परिवीक्षा अधिनियम या संहिता के पर्ासंगिक पर्ावधानों जैसे अधिनियमों में निहित सजा देने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए।इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेद पर्काश बनाम हरियाणा राज्य, ए. आई. आर. 1981 (एस. सी.) 643 मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

"––.भले ही अनुभाग 360, दण्ड पर्किर्या संहिता को आकर्षित नहीं किया जाता है, यह सजा सुनाने वाले न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे तथ्यों को एकतर् करने के लिए पर्याप्त सकिर्य हो जो पुनर्वास के साथ सजा पर असर डालते हैं।वर्तमान मामले में ऐसी सामगिर्यों की अनुपस्थिति में ने हमें वकील से भी बहुत कम सहायता दी है। वास्तव में, बार के सदस्य भी इन विधायी पर्ावधानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं जो किसी अपराधी के साथ इस तरह से व्यवहार करने से संबंधित हैं कि वह गैर-अपराधी बन जाता है।हम इस पर जोर देते हैं क्योंकि सजा में सुधार से संबंधित कानूनों को 'छोटे अधिनियम' के रूप में माना गया है और इसलिए, इसका बहुत कम परिणाम हुआ है।यह एक पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है और भले ही बार मदद नहीं करता है, पीठ को अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम जैसे अधिनियमों में निहित सजा के मानवीय मिशन को पूरा करना चाहिए।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए न्यायालय सजा सुनाने से पहले संहिता या परिवीक्षा अधिनियम के पर्ावधानों की पर्योज्यता की जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

27. अन्यथा भी परिवीक्षा से बहुत लाभ होगा पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए जहां जेलों में अक्सर भीड़ होती है।अन्यथा मौजूदा सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में अपराधियों को सामान्य समाज में वापस लाना भी आवश्यक है।परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य यह नहीं है कि सभी अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन अगर अदालत को लगता है कि कोई अपराधी जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है तो अदालत फैसले में विशेष कारण दर्ज करके ऐसा करेगी।"

(15) निश्चित रूप से, अनुभाग 360 दंड प्रकिया संहिता के साथ-साथ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की अनुभाग 4 और 5 के अधिदेश में यह विचार किया गया है कि यदि अपराध जघन्य या गंभीर नहीं हैं, तो कानून को पहली बार अपराध करने वालों को कुछ हद तक दंडित करने का सहारा लेना चाहिए।उक्त अधिनियम का उद्देश्य और दंड पर्किर्या संहिता में निहित पर्ावधान एक आरोपी को कानून और सजा के निवारक पर्भाव से समझौता किए बिना खुद को सुधारने का अवसर पर्दान करते हैं। सजा हमेशा दंडात्मक सजा देने के उपाय के रूप में नहीं दी जानी चाहिए जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पर्त्येक अपराध के लिए हिरासत में रखना है।सजा सुनाने का उद्देश्य भी सुधारात्मक है और यह आकलन करना है कि क्या कोई दोषी सुधार से परे एक कठोर अपराधी के लक्षणों को पर्दर्शित करता है या सुधार की क्षमता रखता है। किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए अपराधी के रूप में सुधार नहीं किया जाना चाहिए।इस पर्कार, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत का एक तत्व सामने आता है।यही एक अपराधी को मुख्यधारा के समाज में रहने का अवसर पर्दान करता है।

(16) माननीय उच्चतम न्यायालय ने वेद पर्काश बनाम हरियाणा राज्य 3 के मामले में इस आशय का निर्णय दिया था कि एक अभियुक्त को सजा सुनाना एक संवेदनशील मामला है न कि एक नियमित यांतिर्क धारणा है।सजा सुनाने वाले न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह ऐसे तथ्यों पर विचार करने के लिए पर्याप्त कार्यकर्ता बने जिनका पुनर्वास उद्देश्य के साथ सजा पर असर पड़ता है।

(17) लाभ को आम तौर पर तब तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि अदालत को यह महसूस न हो कि दोषी अपरिवर्तनीय है और उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय अभियुक्त की सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है; अपराध करने की गंभीरता, पर्कृति और तरीका; परिणाम, अपराध की सामाजिक पर्तिकिर्या; एक अभियुक्त की पृष्ठभूमि और पर्वृत्तियाँ और उस सजा का आकलन करता है जो निवारक, सुधारात्मक या आनुपातिक होनी चाहिए।एक बार की गई ऐसी कवायद जिसमें न्यायालय ने परिवीक्षा आदि के रूप में सुधारात्मक दंड लगाने में विश्वास रखते हुए, इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि दंड मानदंडों की स्पष्ट रूप से अवहेलना नहीं करता है।एक न्यायालय के रूप में, एक न्यायाधीश न केवल बुराई पर नज़र रखता है, बल्कि लोगों में अच्छाई को देखने की दृष्टि के साथ भी बैठता है।

3 ए.आई.आर. 1981 एससी 643

(18) यदि न्यायालयों द्वारा सख्त और कठोर विधि अपनाई जाती है और ऐसे लाभों को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जाता है तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का उद्देश्य

विफल हो जाएगा।ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बताई गई है, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था और जिनका कथित रूप से उल्लंघन किया गया था।

(19) उपरोक्त निर्णयों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है और एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो सात वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, वह अनुभाग के अर्न्तगत 360 दंड प्रकिया संहिता के तहत अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा के लाभ का दावा करने का हकदार है, बशर्ते कि अपराधी के खिलाफ कोई पूर्व दोषसिद्धि न हो और अपराधी की उमर्, चरितर् और पूर्ववृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, उन परिस्थितियों के साथ जिसमें अपराध किया गया था।

(20) यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता अनुभाग के अर्न्तगत 360 दंड प्रकिया संहिता के तहत निर्धारित परिस्थितियों को पूरा करता है। उसे अनुभाग के अर्न्तगत 325 दंड प्रकिया संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो अधिकतम सात साल के कारावास के लिए दंडनीय है और अनुभाग भारतीय दंड प्रकिया संहिता 323 जो अधिकतम एक साल के कारावास के लिए दंडनीय है।इसके अलावा, यह साबित नहीं हुआ है कि याचिकाकर्ता एक पूर्व दोषी है या वह एक आदतन अपराधी है।इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की आयु लगभग 50 वर्ष है और उपरोक्त परिस्थितियों में, उसके पास अपने बच्चों के पर्ति पर्याप्त जिम्मेदारियां होंगी।याचिकाकर्ता को पूरे कारावास से गुजरने की स्थिति में परिवार के लिए वित्तीय कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता एक मजदूर है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त या बाद के आचरण से यह नहीं पता चलता है कि वह एक आदतन अपराधी है और सुधार करने में असमर्थ है।सजा सुनाने के अनिवार्य उद्देश्यों में से एक अपराधी को सुधार करने की अनुमति देना है, इसे ध्यान में रखने में अदालत की विफलता सजा देने के पर्शंसनीय उद्देश्यों में से एक को विफल करने की संभावना है।

(21) जबकि आदतन अपराधियों या अपराधियों के मामलों में सजा का दंडात्मक पहलू आवश्यक हो सकता है, वही पैमाना उन व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने समय पर एक निश्चित समय पर अपराध किया है और बिना किसी आपराधिक पर्वृत्ति और अनुधाबन के।

(22) के संबंध में कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवीक्षा, सजा सुनाने का उद्देश्य और याचिकाकर्ता से संबंधित कम करने वाली परिस्थितियाँ, जो ऊपर देखी गई हैं, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की आंशिक रूप से अनुमति है।

(23) कैथल जिला के पुलिस स्टेशन राजौंद में पंजीकृत भारतीय दंड संहिता 1860 की अनुभाग 34 के साथ पठित अनुभाग 323,506,509,325 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाले मामले में याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट पर्थम शरे्णी, कैथल द्वारा पारित 29.04.2019 दोषसिद्धि के फैसले के साथ-साथ

अतिरिक्त सतर् न्यायाधीश, कैथल द्वारा पारित 18.12.2019 के फैसले को बरकरार रखा गया है।न्यायिक मजिस्ट्रेट पर्थम शरे्णी, कैथल द्वारा पारित सजा के आदेश को संशोधित किया गया है और याचिकाकर्ता को पर्याप्त जमानत बांड और जमानत बांड पर्स्तुत करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)

मनजीत सिंह ढिल्लो

माननीय न्यायालय श्री जगदीप सिंह अतिरिक्त जिला स्तर न्यायधीश, यमुनानगर (जगाधरी)